महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के निर्वाण शताब्दी के अवसर पर



कुर्बानी
कुरान के विरुद्ध ?

श्री एस० पी० शुक्ला
विद्वान मुंसिफ मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला

"अल्लाह तक न तो इनका गोश्त ही पहुँचता है और न खाल लेकिन उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है।" **कुरान शरीफ**
(सूरे हज्ज पारा १७ आयत ३७)

"गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि जानवरों की कुर्बानी धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं"
मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्री एस० पी० शुक्ला

प्रकाशक
प्रथम बार **नगर आर्य समाज**
३००० प्रतियाँ गंगा प्रसाद रोड, मूल्य
वर्ष १९८३ (रकाबगंज) लखनऊ १) रु० टन
नहीं

अन्तर अवलोकन

एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या पशुओं की कुर्बानी किसी भी मजहब में, विशेषकर इस्लाम में, अनिवार्य है—इतिहास समय-समय पर और विद्वज्जन अपने मत एवं नीति अनुसार इसका उत्तर देते रहे हैं। धर्म निरपेक्षता धर्म विरोध नहीं मजहबी असहिष्णुता का विरोध है–असहनशीलता का निराकरण है।

इस्लाम के ही अनुयायी शहंशाह के राज्यकाल में गोवध बन्दी के फरमान मिलते हैं। और इसी देश में कुर्बानी के इसी सवाल को लेकर जाने कितने मजहबी झगड़े हुए हैं, निरीह मानव रक्त बहा है, जब कि सभी धर्म-मजहब प्यार और दया का सन्देश देते हैं।

आज के युग की एक विशेषता है कि प्रायः हर मजहब अपने को विज्ञानसम्मत मानता है, तर्क संगत मानता है और किसी न किसी रूप में हठवादिता, अंधविश्वास एवं रूढ़िग्रस्तता का विरोध करता है, देश के अनेक स्थलों पर पशुओं के विरुद्ध निर्दयता को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं, कानून भी है।

विद्वान मुंसिफ द्वारा घोषित निर्णय सार्वजनिक महत्व का है—एक तर्क पूर्ण मीमांसा, एक विधि विशेषज्ञ द्वारा की गयी विवेचना से सभी को अवगत होना चाहिए—एतदर्थ इस निर्णय का ज्यों का त्यों प्रकाशन बिना किसी टिप्पणी के आपके सम्मुख प्रस्तुत है :—

नगर आर्य समाज के उपमंत्री श्री रेवती रमन रस्तोगी, एडवोकेट ६५, राजा बाजार, लखनऊ व इसी समाज के भूतपूर्व मंत्री श्री वेद प्रकाश, एडवोकेट, सुभाष मार्ग, लखनऊ ने इस मुकद्दमे को जिस योग्यता व निष्ठा से लड़ा है–वह प्रशंसनीय है।

प्रकाशन में हम आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री कैलाश नाथ सिंह तथा आर्य समाज (गणेशगंज) लखनऊ के श्री मनमोहन जी से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है—हम उनके कृतज्ञ हैं। बधाई के पात्र ग्राम सहिलामऊ के ग्रामवासी [illegible] जिनकी बदौलत यह प्रश्न निर्णीत हो सका है।

दिनांक
[illegible]11-1983
[illegible]ण दिवस

कुंवर शान्ति प्रकाश
मंत्री
नगर आर्य समाज, लखनऊ

न्यायालय श्रीमान षष्टम् अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
उपस्थितः- श्री एस०पी०शुक्ल, पी०सी०एस०(जे)
मूलवाद संख्या –292/79

संस्थित दिनांक ३० अक्टूबर सन् १९७९

१. श्री रामआसरे ग्राम प्रधान आयु लगभग ५५ वर्ष पुत्र विन्दा प्रसाद।
२. श्री सुदधालाल आयु लगभग ५० वर्ष पुत्र श्री उधो लाल
३. श्री मदारू आयु लगभग ५२ वर्ष पुत्र श्री भिलई।
४. श्री राम भरोसे आयु लगभग ५० वर्ष पुत्र सरजू प्रसाद।
५. श्री काली चरन आयु लगभग ४० वर्ष पुत्र श्री परमेश्वर दीन।
६. श्री राम रतन आयु लगभग ५१ वर्ष पुत्र श्री अयोध्या।
७. श्री ब्रज मोहन आयु लगभग ३६ वर्ष पुत्र श्री गुर प्रसाद।
८. श्री मुन्ना लाल आयु लगभग ३२ वर्ष श्री मैकू।
९. श्री वसुदेव आयु लगभग ५६ वर्ष पुत्र श्री ललइ।

निवासी ग्राम सहिलामऊ, परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ

वादीगण

वनाम

१. श्री शमशाद हुसैन आयु लगभग ३६ वर्ष पुत्र श्री शाकिर अली।
२. श्री फारूख आयु लगभग ३२ वर्ष पुत्र श्री अन्वार अली।
३. श्री मोहम्मद जान आयु लगभग ४५ वर्ष पुत्र श्री नवाव अली।
४. श्री यूसुफ आयु लगभग ३२ वर्ष पुत्र श्री मोहम्मद जान।
५. श्री अतहर अली आयु लगभग ४० वर्ष पुत्र श्री अव्वास।
६. श्री अव्वास आयु ६० वर्ष पुत्र श्री मुराद इलाही। टन
७. श्री सैयद अली आयु लगभग ७० वर्ष पुत्र श्री इलाही। नहीं

८. उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ।

९. श्री योगेन्द्र नारायन जी डिप्टी कमिश्नर लखनऊ।

१०. श्री परगना अधिकारी महोदय, मलिहाबाद, लखनऊ।

११. सर्किल आफिसर, पुलिस सर्किल मलिहाबाद, लखनऊ।

१२. इन्चार्ज पुलिस थाना मलिहाबाद, लखनऊ।

निवासी १ ता ७ तक निवासी ग्राम सहिलामऊ थाना, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ।

प्रतिवादीगण

वाद स्थाई व्यादेश

नकल निर्णय

वर्तमान वाद वादी ने प्रतिबादीगण द्वारा की जाने वाली कुर्बानी को प्रतिबन्धित करने के लिए दायर किया है।

वादीगण के कथनानुसार वादीगण ग्राम सहिलामऊ, परगना मलिहाबाद जिला लखनऊ के स्थाई निवासी हैं। उक्त ग्राम में कभी भी ईद बकरीद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा गाय-भैंसों की कुर्बानी नहीं दी जाती रही है, परन्तु कुछ मुसलमान हिन्दुओं की भावना को कष्ट पहुँचाने के लिए तथा साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए और दंगाफसाद करने की नियत से दिनांक १-११-७९ को भैंसों की कुर्बानी करना चाहा और इसके लिए इन लोगों ने रविवार को वादीगण को बुलाकर आपस में भैंसों की कुर्बानी के बाबत बात-चीत की, तब उन्हें वादीगण ने समझाया कि इस गाँव में कभी भी भैंसों की कुर्बानी नहीं हुई और उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परस्पर वैमनस्य और विद्वेष की भावना बढ़े। इस पर प्रतिवादीगण ने बताया कि उन्होंने प्रतिवादी नं०-१०, ११ व १२ से कुर्बानी करने की अनुमति ले ली है और प्रतिवा-[illegible] नं०-१ के स्थान पर कुर्बानी अवश्य करेंगे। प्रतिवादीगण नं० १ से [illegible] इस प्रकार कुर्बानी करने से ग्राम सहिलामऊ में लोक व्यवस्था

तथा लोकशांति भंग हो सकती है और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। प्रतिवादीगण का यह कार्य भैंसों की कुर्बानी करना नैतिकता एवं जन स्वास्थ्य के विपरीत है, क्योंकि इससे गंदगी एवं न्यूसेन्स उत्पन्न होगी, साथ ही पशुवध नियमों का उल्लंघन भी होगा। यह कुर्बानी धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है और न धर्म की परिधि में आता है। दिनांक ३-२-७६ को भैंसों की कुर्बानी न करने के एवज में प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथन को अंशत: स्वीकार कर लिया। वाद का कारण दिनांक २८-१०-७६ को उत्पन्न हुआ और वर्तमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। वादीगण को ग्राम सहिलामऊ में प्रतिवादीगण द्वारा दी जाने वाली नई व अभूतपूर्व कुर्बानियों को रोकने का अधिकार है और उक्त अधिकार का बाजार मूल्य नहीं आंका जा सकता।

प्रतिवादी नं० १ ता ७ ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया कि वादीगण उन्हीं के गांव के निवासी हैं। शेष सभी अभिकथनों को अस्वीकार किया। अपने अतिरिक्त कथन में प्रतिवादीगण ने अभिकथित किया कि गांव सहिलामऊ में करीब ४०० मुसलमान मतदाता है और ३६४ अन्य धर्म के मतदाता हैं। मुसलमानों को भारतीय संविधान की अनुच्छेद–२५ व २६ में कुर्बानी को करने का अधिकार है और उन्हें प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के कारण इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान दावा चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादीगण के इस कृत्य से प्रतिवादीगण के मौलिक अधिकारों पर साथ ही साथ अनुच्छेद २५ व २६ भारतीय सविधान पर कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान दावा गलत तथ्यों पर आधारित, दोषपूर्ण एवं परि-सीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जबाव दावा में यह अभिकथित किया गया कि धारा–३ वादपत्र असत्य, निराधार एवं भ्रामक है। मुसलमानों को बकरीद व ईद के अवसर पर बकरी, मेढ़ा, भैंसा काटने का अधिकार है, क्योंकि इससे किसी की धार्मिक भावना को क्षति नहीं

पहुँचती है। भैंसे की कुर्बानी नैतिकता के विपरीत नहीं है और न ही इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर ही कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वादीगण यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि यह कृत्य किस प्रकार जनता के लिए अस्वास्थप्रद होगा और न ही इससे न्यूसेन्स पैदा होगा। यह असत्य है कि जानवरों को काटने के नियमों का हनन होगा। बलि देना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है और उसके तहत बकरी, भेड़ा, ऊँट, भैंसा आदि की बलि अपने सामाजिक स्थिति के अनुरूप दिया करते हैं और उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादीगण की ओर से यह भी अभिकथित किया गया है कि जानवरों की कीमत रू० १६००/= ले लेने से उन्होंने वादीगण के अभिकथनों को स्वीकार नहीं कर लिया है और इससे मुकद्दमें के गुणा-वगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और यही कहकर प्रतिवादी-गण ने पैसा वसूल किया जैसा कि आदेश दिनांक ३-११-७६ के आदेश से स्पष्ट है। उपरोक्त आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्ष को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनों का अवलोकन कर निम्नांकित विवाद्यक मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी ने दिनांक २५-७-८० व २०-८-८१ को बनाये :–

१. क्या ग्राम सहिलामऊ थाना परगना तहसील मलिहाबाद लखनऊ में ईद-बकरीद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा गाय, भैंस अथवा भैंसों की कुर्बानी नहीं दी जाती रही है, जैसा कि वाद पत्र की धारा-२ में कहा गया है ?

२. क्या वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा दी जाने वाली कुर्बानी रोकने का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि वाद पत्र की धारा-४ में कहा गया है ?

३. क्या प्रतिवादीगण को कुर्बानी देने का भारतीय संविधान की धारा २५ व २६ में मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं एवं वादीगण उसका हनन नहीं कर सकते, जैसा कि वादोत्तर में कहा गया है ?

४. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं न्यायशुल्क कम अदा किया गया है यदि हाँ तो इसका प्रभाव ?

५. क्या वादीगण प्रतिवादीगण को रोकने से स्टोपिड होते हैं, जैसा कि वादोत्तर के धारा १० में कहा गया है यदि हाँ तो इसका प्रभाव ?

६. क्या वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?

७. क्या प्रतिवादीगण द्वारा भैंसों की कुर्वानी नैतिकता के विपरीत है तथा जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा इससे न्यूसेन्स होगा व पशुवध के नियमों का उल्लंघन होगा, जैसा कि वादपत्र के पैरा-४ में उल्लिखित है ?

८. क्या प्रतिवादीगण कुर्वानी की एवज में धनराशि ग्रहण करके विवंधित हैं, जैसा कि वादपत्र में धारा-६ में उल्लिखित है ?

निष्कर्ष

विवाद्यक सं०–४

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक वनाना चाहिए था, परन्तु सम्भवतः साक्ष्य के अभाव के कारण इस विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक नहीं वनाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रमुख तौर पर यह तर्क दिया गया कि उक्त ग्राम में मुसलमानों की आवादी ४०० है। सात व्यक्ति मिलकर एक भैंस या बैल की कुर्वानी दे सकते हैं। इस प्रकार ४०० को ७ से भाग देने पर ५७ भैंसे आते हैं। यदि एक भैंस की कीमत रु० ३००/= भी आंक ली जाए तो कुल कीमत रु० १७,१००.०० होती है जो वर्तमान

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। देखने में विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क अत्यन्त सशक्त प्रतीत होता है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करता है। विवादित बकरीद के अवसर पर केवल दो भैंसों की कुर्बानी करने की अनुमति प्रदान की गई। ऐसी दशा में इस प्रकार के उपशम का सांख्यकीय मूल्यांकन कर पाना सम्भव नहीं है और अनुमानित मूल्यांकन ही अपेक्षित है।

वादी ने अपनी बहस के दौरान यह तर्क दिया कि रु० १६००/= प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा न्यायालय में दिये गये थे, वह भी वादीगण पाने के अधिकारी हैं, किन्तु जब रु० १६००/= के बावत उपशम की ओर ध्यान दिलाया गया तो उसने कहा कि उपशम "स" में यह तथ्य भी आ जाता है यदि वादीगण रु० १६००/= भी प्रतिवादीगण से वापस चाहते हैं तो निसंदेह ही उन्हें रु० १६००/= पर न्याय शुल्क अदा करना होगा और इस प्रकार सम्पूर्ण वाद का मूल्यांकन रु० १०००+१६००=२६०० होगा।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर विवाद्यक सं० ४ तदनुसार निर्णीत किया गया।

विवाद्यक न० १, २, ३ व ५

विवाद्यक नं० १ व २ को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक नं० ३ व ५ को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यह विवाद्यक एक दूसरे पर आधारित है। अतः इनकी व्याख्या अलग-अलग कर पाना सम्भव नहीं है। अतः न्याय की सुगमता के लिए ये विवाद्यक एक साथ निर्णीत किया जाना अधिक उपयुक्त एवं उचित होगा।

विवाद्यक नं० १ के सम्बन्ध में वादी साक्षी नं०-१ राम आसरे, वादी साक्षी सं० २ महन्त विद्याधर दास को परीक्षित किया गया। इन दोनों साक्षीगण ने शपथ पर न्यायालय में बयान दिया और कहा कि ग्राम सहिलामऊ में भैंस-भैंसा की कुर्बानी बकरीद के अवसर पर नहीं

होती रही है, केवल बकरे की कुर्बानी मुसलमान भाई करते थे, जिसे कभी भी हिन्दुओं ने नहीं रोका और जिससे धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता, सदव्यवहार, सदाचार एवं सहयोग का वातावरण बना हुआ था, परन्तु श्री मोहम्मद रफीकुद्दीन के गाँव में आने पर भैंसों की कुर्बानी करवाने से गाँव में साम्प्रदायिक तनाव, विद्वेष व घृणा का वातावरण पनप गया। धर्म की आड़ लेकर रफीकुद्दीन, भोलीभाली निरीह जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं। इन साक्षीगण के अनुसार ग्राम सहिलामऊ में कभी भी भैंसे की कुर्बानी नहीं दी गई। पृच्छा में भी इस साक्षियों से कोई विशेष बात प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता नहीं निकाल पाये हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ग्राम सहिलामऊ में इस घटना के पहले भी भैंस-भैंसों की कुर्बानी हुआ करती थी।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी साक्षी नं० १ सैयद अली, दीन मोहम्मद, फारूक को परीक्षित किया गया, जिन्होंने कहा कि इस गाँव में आजादी के पहले गाय की भी कुर्बानी होती थी। भेड़, भेड़ा, बकरी, बकरा, गाय-बैल, ऊँट-ऊँटनी की कुर्बानी का मजहबी प्राविधान इन लोगों ने बताया और कहा कि इस गाँव में भैंसे की कुर्बानी पहले होती थी, जिससे कोई घृणा का वातावरण नहीं बना। वादीगण धार्मिक आड़ में प्रतिवादीगण को धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। इन साक्षीगण की साक्ष्य को पृच्छा की कसौटी पर कसा गया, तो सफाई साक्षी नं० १ सैयद अली ने स्वीकार किया और यह भी कहा कि हिन्दुओं ने मुर्गे की कुर्बानी पर कोई एतराज नहीं किया और इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सन् ६४-६५ में जब राज बहादुर थाना मलिहाबाद में दरोगा थे, तब कुर्बानी की बात उठी थी, लेकिन सुलह हो गई थी। इस गाँव में कोई भी बूचड़खाना नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी बड़े जानवर की कुर्बानी की जायेगी तो दूसरे लोगों को यानी हिन्दुओं को भी पता चलेगा, जिससे बड़ा बखेड़ा होगा जैसा कि यह प्रतिवादी सन् ६४-६५ की वारदात स्वीकार करता है। साक्षी

नं० ३ मोहम्मद फारूख ने भी पृच्छा में स्वीकार किया है कि सन् १९७९ में १७ बकरों की कुर्बानी दी गई, जिसमें से १४ बकरों को कुर्बानी न्यायालय से मिले पैसे से हुई थी और तीन बकरों का इन्तजाम उन्होने स्वयं किया था। इस साक्षी एवं सैयद अली ने भी पृच्छा में स्वीकार किया है कि खून हड्डियाँ एवं बाल आदि को गड़वाने वाली बात जवाब दावा में नहीं लिखी गयी है, जिससे यह स्पष्ट होता है ये बातें इन साक्षियों ने सोच-विचार कर न्यायालय में बतायी हैं और न ही इन साक्षियों ने कुर्बानी बन्द करने की बात कही है, बल्कि पृच्छा में यह बात बताया जो विचार कर कहना प्रतीत होती हैं। ऐसी दशा में यदि कुर्बानी स्वतंत्रतापूर्वक होती है, तो निश्चय ही हिन्दुओं को इस बात का पता लगा होता और तनाव बढ़ता।

यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि सफाई साक्षी सं० ५ मो० रफीकुद्दीन जो सम्पूर्ण कलह की जड़ कहे जाते हैं और ग्राम सहिलामऊ में मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तथा गाँव के मुसलमानों के धार्मिक गुरू हैं, उन्होंने पृच्छा में इस बात को स्वीकार किया कि भैंस जानवर जिवा करते हैं, वह उसका कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। हाजी सैयद अली मस्जिद में मुतवल्ली हैं और उनके पास कुर्बानी का पूरा रिकार्ड रहता है, उसमें कुर्बानी के जानवरों की जाति लिखी जाती है। और कुर्बानी किस किसने कराया उसका नाम लिखा जाता है। हाजी सैयद अली इस मुकददमे में प्रतिवादी नं० ७ हैं, परन्तु न्यायालय में मेरे समक्ष तथाकथित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि ग्राम सहिलामऊ में कुर्बानी काफी पुराने समय से चली आ रही है। वह अभिलेख प्रतिवादी नं० ७ के पास है जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसको प्रस्तुत करने का दायित्व प्रतिवादी नं० ७ पर है। इसको प्रस्तुत न करने से अनुमान प्रतिवादीगण के विरूद्ध लगाया जायगा। सैयद अली प्रतिवादी नं० ७ प्रतिवादी साक्षी नं० १ के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, इन्होंने उक्त अभिलेखों के बावत

एक शब्द भी नहीं कहा। इस साक्षी का बयान स्वयं में विरोधाभासी है। उसने अपने मुख्य कथन में यह कहा है कि इस गाँव में आजादी के पहले गाय की बलि होती थी और उसके पहले भैंसे-भैंसों की बलि होती रही है। पृच्छा में यह साक्षी स्वीकार करता है कि उसके मजहब में गाय और भेड़ की कुर्बानी की इजाजत नहीं है। ऐसी दशा में इसका स्वयं का कथन संदेहास्पद है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित घटना से पहले ग्राम सहिलामऊ में भैंसे की कुर्बानी नहीं होती रही थी। विवाद्यक नं० १ व २ तदनुसार वादीगण के अनुकूल एवं प्रतिवादीगण के प्रतिकूल निर्णीत किये गये।

विवाद्यक नं० ३ व ५

के बावत उभय पक्ष की ओर से तर्क दिये गये। प्रतिवादीगण ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ का सहारा लेकर अभिकथित किया कि मुसलमानों को कुर्बानी करने का मौलिक अधिकार प्रदत्त है और उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। यह निःसंदेह सत्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्राविधान भारतीय संविधान में निहित है और धर्म निरपेक्षता इस संविधान की विशेषता है, परन्तु संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत किसी विशेष धर्म को विकसित करने, परिपोषित करने व प्रचार करने की सुविधा सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं की गयी है, बल्कि उस धर्म के अनुयाइयों को अपने धर्म के विकास करने की सुविधा की स्वतंत्रता है परन्तु यह स्वतंत्रता असीमित, अनियमित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में वहीं तक प्रदत्त है, जहाँ तक दूसरे धर्मवालों की भावनाओं पर कुठाराघात न हो, परन्तु जहाँ जिस धार्मिक भावना द्वारा दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावना का कुठाराघात होता है, वह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गयी है।

मैं विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्राविधान भारतीय संविधान में प्रदत्त है, परन्तु इससे

दूसरे के धर्म को आघात पहुँचाने का अधिकार नहीं मिलता है। जहाँ तक कुर्बानी मजहब का अंग है, इस सम्बन्ध में हाजी मो० रफीकुद्दीन का परीक्षित किया गया। वही तथाकथित मुसलमानों के धार्मिक गुरू ग्राम सहिलामऊ में हैं, उनके समक्ष सम्पूर्ण पाक कुरान शरीफ रखी गयी और उनसे कहा गया कि वह न्यायालय को बतायें कि पाक कुरान शरीफ में कुर्बानी का प्राविधान कहाँ पर है और विशेषत: भैंसे की कुर्बानी कहाँ पर दी गई है, परन्तु वह कोई भी ऐसा सन्दर्भ पाक कुरान शरीफ में निकालकर दिखाने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने केवल पाक कुरान शरीफ की कुछ आयतों का सन्दर्भ दिया। उनके अनुसार पाक कुरान शरीफ सूरे हज्ज के पारा-१७ रूकू १२ के अनुसार कुर्बानी फर्ज है, लेकिन जब उन्हें कुरान शरीफ दी गई तो वह दिखा नहीं सके, बल्कि सूरे हज्ज की आयत ३६ में यह कहा कि अल्लाह के नजदीक न इसका गोश्त पहुँचता है और न ही खाल, लेकिन नीयत पहुँचती है। अल्लाह ताला नीयत को देखता है. जानवर को नहीं देखता। सूरे हज्जरूकू ५ आयत ३ में यह लिखा है कि खुदा तक न तो कुर्बानी का माँस पहुँचता है और न ही खून, बल्कि उनके पास तुम्हारी श्रद्धा भक्ति पहुँचती है, यह कहना साक्षी ने गलत बताया। कुर्बानी की दुआ इस साक्षी ने सूरे इनाम रूकू १४ पारा ७ आयत ७६ बताया और फिर बाद में ७८ कहा, परन्तु जब यह पूछा गया कि कुर्बानी फर्ज है, कहाँ पर लिखा है, तो यह बताने में साक्षी असमर्थ रहा। इस साक्षी को यह भी नहीं मालूम कि दुआ में कुर्बानी का जिक्र आया है। इस साक्षी को पाक कुरान शरीफ के प्रकाशक भुवन वाणी का शास्त्रीय अरबी पद्धति पर हिन्दी में संस्करण दिखाया गया तो, उसने कहा कि इस ग्रन्थ के पेज नं० ५६० में सूरे हज्ज १७ वें पारे में ११ वें रूकू में ३३वीं आयत में यह लिखा है कि "हमने हर जमात के लिए कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किये हैं, जो हमने उनको चौपाये जानवरों में से अनाम किये हैं। कुर्बानी करते हुए अल्लाह का नाम लें।" इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि इसमें कुर्बानी फर्ज

है, इसका जिक्र नहीं है। इस साक्षी ने अंत में विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि हाफिज का मतलब पाक कुरान शरीफ हिफ्ज होने से अर्थात रटे होने से है। पाक कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ जानने से नहीं है। मुझे कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ नहीं मालूम। जो कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ जानता है, उन्हें उलमा कहते हैं, वे कुरान शरीफ की बारीकियों को समझा सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उलमा पेश नहीं किया गया, जो न्यायालय को यह बताता कि इस्लाम धर्म में भैंस-भैंसे की कुर्बानी करना कहाँ पर लिखा है और कुर्बानी करना हर इस्लाम के बंदे का फर्ज है। इस व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि कुरान शरीफ की किस आयत में कुर्बानी करना फर्ज लिखा है, इस साक्षी ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसे पता नहीं है कि कुरान शरीफ की किस आयत में कुर्बानी फर्ज लिखा है, बल्कि यह फिरंगी महल अथवा नदवे वाले हैं, उसके लोग जो बताते हैं वह करता हूँ। फिरंगी महल अथवा नदवे का उलमा अथवा मुल्ला कोई भी मेरे समक्ष परीक्षित नहीं किया गया, जो इस बात को स्पष्ट करता कि इस्लाम मजहब में बकरीद के अवसर पर भैंस-भैंसे की कुर्बानी करना परमावश्यक है।

इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि कुर्बानी अपनी सबसे अजीज चीज की दी जाती है। उदाहरण के लिए हजरत इब्राहिम ने अपने लड़के की कुर्बानी बकरीद के दिन दी थी परन्तु जब इब्राहिम ने अपनी आँखों से पट्टी खोली तो दुम्मा बना हुआ निकला। इससे अधिक से अधिक तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि दुम्मा को कुर्बानी करने के लिए इस्लाम में प्राविधान है, परन्तु दुम्मा का तात्पर्य भैंस, गाय से नहीं हो सकता। पारा १७ आयत २६ से ३८ तक ऊँटों की कुर्बानी का प्राविधान सूरे हज्ज में दिया गया है। इसी में आयत ३२ में कहा गया है कि तुम्हारे चौपायों में से एक खास वक्त तक फायदे हैं, जो तुम सवारी या दूध से उठा सकते हो। फिर उस पुराने ढाबे, काबा

तक, कुर्बानी के लिए, जाना है। आयत २७ में कहा गया है" और लोगों में हज्ज के लिए पुकार दो कि हमारी तरफ दुबले-दुबले ऊँटों पर सवार होकर दूर-दूर की राहों से चलकर आवें। आयत २७ में अपनी भलाई की जगह के लिए हाजिर है। अल्लाह ने तो मवेशी उन्हें दिये हैं, उन पर जबह (बलिदान) के समय अल्लाह का नाम लें। उनमें से असहायों, दीन दुखियों, और फकीरों को खिलाओ। आयत २८ में चाहिए कि अपना मैल-कुचैल उतार दे और अपनी मन्नतें पूरी करे और इस तवाफ परिक्रमा करें।

यह सत्य है कि पाक कुरान शरीफ में कुर्बानी के लिए चौपायों के लिए कहा गया। पाक कुरान शरीफ में एक स्थान निश्चित कर दिया गया है और वह काबा के सामने पूरब की ओर है। कुर्बानी करने वाले जानवर का सिर काबा की ओर होगा और अल्लाह का नाम लेकर जिबा किया जायेगा। पाक कुरान शरीफ में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हीं चौपायों की कुर्बानी की जायगी, जो आपके प्रयोग के लिए बेकार हो गये हैं अर्थात जो दूध नहीं देते हैं और जो बोझ ढोने के लायक नहीं हैं, परन्तु डाक्टर ने इस वाद में स्वयं जानवरों को सर्टीफिकेट दिया और जानवर काटने के स्वस्थ जानवरों को ही मारने के लिए यह प्रमाणपत्र दिया जाता है। ग्राम सहिलामऊ कभी काबा नहीं बन सकता और इस प्रकार की की गई कुर्बानी भैंसों आदि की पाक कुरान शरीफ में अंकित हैं, इसमें सन्देह है। पाक कुरान शरीफ का उद्देश्य अनुपयोगी जानवरों की कुर्बानी से है, जिससे लोग उनके माँस आदि से अपना पेट पालन करते हैं, न कि हृष्ट-पुष्ट जानवरों की कुर्बानी करना, जिसके लिए डाक्टरी सर्टीफिकेट की आवश्यकता है।

यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों को अन्ध विश्वास में बदलना कहाँ तक उचित है और अन्ध विश्वास को भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ में प्रश्रय मिलेगा, यह सही नहीं है। हालाँकि उपरोक्त सभी आयतें साक्षी नं० ५

श्री मो० रफीकुद्दीन नहीं कह सके। इसलिए उन्हें इन आयतों का भी लाभ नहीं मिल सकता।

मेरे समक्ष विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने मोहम्मद फारूक बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश आदि ए०आइ०आर० १९७० सुप्रीम कोर्ट पेज ९३ की नजीर प्रदर्शित की। यह नजीर वर्तमान वाद में लागू नहीं होती है। यह नजीर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-१९ (जी) व्यापार करने के सम्बन्ध में है, अतः इसकी व्याख्या करना उचित न होगा।

मेरे समक्ष विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी नं श्रीमदपेरारू लाल तीर्थ राज रामानुजा जी० एस० स्वामी बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु ए०आई० आर० १९७२ सुप्रीम कोर्ट पेज १५८६ प्रदर्शित किया, जिसमें सरदार सइदेना तेहर शिक्यूरिटी शाहिद बनाम बाम्बे सरकार ए० आई० आर० सुप्रीम कोर्ट पेज ८५३ पर विश्वास व्यक्त किया गया, जिसके अनुच्छेद ३४ में यह न कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ में संरक्षणता केवल धार्मिक सिद्धान्त अथवा विश्वास को नहीं दी गई है। यह संरक्षणता वहाँ तक बढ़ाई जाती है जहाँ तक धार्मिक अक्षुण्णयता प्रतिपादित करने में जो कृत्य किये जाते हैं और जिस प्रकार पूजा अर्चना त्योहारों के रूप में मनाई जाती हैं, जो धर्म का एक अभिन्न अंग हैं। दूसरा यह कि यह धर्म का आवश्यक अंग है अथवा धार्मिक अभ्यास है, यह विशेष धर्म के सिद्धान्तों एवं उसके अभ्यासों पर जो उस धर्म के अनुयाइयों द्वारा धर्म का अंग मानकर किया जाता है, पर निर्भर होगा। इस तथ्य को न मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता १. यदि भैंसों की बलि बिना बकरीद त्योहार मुसलमानों में नहीं मनाया जा सकता, तो निश्चय ही उन्हें भैंसे की बलिकी इजाजत देनी होगी, परन्तु इस आवश्यक अंग को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यदि भैंस-भैंसे की बलि विवादित ग्राम में होती रही होती तो निश्चय ही मेरे समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किये गये होते, जबकि साक्षी सं० ५ ने स्वीकार किया है कि साक्षी नं० १ जो प्रतिवादी नं० ७ है। मस्जिद के मुतवल्ली होने के कारण [illegible]

में सभी अभिलेख रखते हैं इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उस गाँव में रहने वाले मुसलमान अब तक भैंसे की बलि देकर ही बकरीद मनाते रहे हैं अथवा नहीं। बकरे दुम्बे की कुर्बानी करने के लिए वादीगण को भी कोई आपत्ति नहीं है।

जहाँ तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५-२६ का प्रश्न है उनमें प्रारम्भ में ही "Subject to public order morality & health" शब्द जुड़े हुए हैं, जो इस बात के प्रतीक हैं कि धार्मिक कृत्य कोई भी पब्लिक आर्डर, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के विपरीत नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म में भी सती प्रथा अथवा आत्मदाह किसी पाप के प्रायश्चित करने के प्रकार बताये गये हैं परन्तु चूंकि वह उपरोक्त तीन शब्दों के प्रतिकूल होने के कारण न्यायालय उन्हें इजाजत नहीं दे सकती।

इस बात को भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि दीवानी अधिकार [सिविल राइट] यदि मौलिक अधिकारों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं तो मौलिक अधिकारोंको वरीयता दी जायेगी और दीवानी अधिकार उस हद तक संशोधित एवं निरस्त समझे जायेंगे। यदि वादी-गण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध केवल दीवानी अधिकार ही प्रदत्त हैं, जबकि भैंसें की कुर्बानी करना प्रतिवादीगण का मौलिक अधिकार है, तो निश्चय ही वह प्रतिवादीगण का मौलिक अधिकार माना जायेगा और वादीगण के दीवानी अधिकार निरस्त समझे जायेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्गा कमेटी अजमेर आदि बनाम सैयद हुसेन अली आदि ए० आई०आर० १९६४ पेज १४०२ के अनुच्छेद ३३ में यह स्पष्ट किया है कि बड़ी सफलतापूर्वक यह ध्यान देने योग्य है कि प्रचलित धर्म की रीति धर्म का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है अथवा वह चली रीति धर्म का अभिन्न एव आवश्यक अंग नहीं है और इस तथ्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद २६ के आवरण में दिखाना होगा। उसी प्रकार प्रचलित धर्म रीति केवल अन्धविश्वास है अथवा अनावश्यक एवं स्वयं में धर्म का अंग

न हो, जब तक धार्मिक प्रचलित रीति आवश्यक एवं अभिन्न धर्म का अंग न हो । अनुच्छेद २६ के तहत सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो उसका बड़ी सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना होगा । दूसरे शब्दों में संवैधानिक सुरक्षा उन्हीं धार्मिक रीतियों को है जो धर्म का आवश्यक एवं अभिन्न अंग हैं । पाक कुरान शरीफ की सन्दर्भित आयतों को देखकर एवं विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का सिंहावलोकन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भैंस-भैंसे की कुर्बानी एक अन्ध विश्वास की देन है । पाक कुरान शरीफ अथवा इस्लाम का आदेश न होने के कारण इस्लाम धर्म का आवश्यक व अभिन्न अंग नहीं है । इस्लाम धर्म में बहुतेरे पैगम्बर, सिद्धहस्त फकीर एवं महान मुसलमान आत्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी । इसका यह मतलब नहीं हुआ कि कुर्बानी के बिना बहिस्त प्राप्त नहीं हो सकता । वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण भैंसे की कुर्बानी को इस्लाम का आवश्यक अंग सिद्ध करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं ।

यहाँ पर मैं यह भी कहना उचित समझता हूँ कि विभिन्न धर्मों के लोग सहिलामऊ गाँव में रहते हैं, जहाँ अब तक भैंस-भैंसे की कुर्बानी नहीं हुई और यदि वे इसे बुरा मानते हैं और अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को भैंसे की कुर्बानी की इजाजत देकर, ठेस पहुँचाना कहाँ तक उचित होगा, जबकि वे इतने सहिष्णु हो चुके हैं कि बकरे, भेड़, भेड़ा का कुर्बानी करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

मेरे समक्ष यह तर्क दिया गया कि एक बड़े जानवर में सात व्यक्ति शरीक हो सकते हैं इसलिये भैंस-भैंसे की कुर्बानी एक गरीब व्यक्ति के लिये लाजमी है, जबकि वह व्यक्ति इतना गरीब है कि एक बकरी खरीद कर कुर्बानी नहीं दे सकता तो क्या वह पब्लिक आर्डर, नैतिकता की सुरक्षा, मलमूत्र, रक्त आदि विसर्जित करके, ठीक से निर्वसन कर सकेंगे इसमें सन्देह है और निश्चय ही गन्दगी को बढ़ावा मिलेगा । सरकार ने इनलिए बड़े जानवरों को काटने के लिए बूचड़खानों का प्रबन्ध किया है ।

यदि पाक कुरान शरीफ की गहराइयों में झांका जाए और बारीकियों को परखा जाए तो व्यक्ति को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं अहं की कुर्बानी करनी चाहिये न कि बेचारे चौपायों की, जिन्हें चांदी के कुछ सिक्कों में खरीदा जा सकता है। मनुष्य को इंद्रियजीत मनोवृत्तिकाजित् होना चाहिये। किसी भी धर्म के आधारभूत सिद्धान्त हिंसा में विश्वास नहीं करते और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पाक कुरान शरीफ में भैंस-भैंसे की कुर्बानी का सन्दर्भ कहीं पर नहीं आया है अन्यथा मेरे समक्ष इस प्रकरण एवं तथ्यों पर हुई गवाही में अवश्य आता। इस साक्षी को अपने उल्माओं से भी मदद लेने का अवसर था, परन्तु फिर भी यह साक्षी मेरे समक्ष इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अनुमान लगाया जायेगा कि पाक कुरान शरीफ अथवा इस्लाम में कुर्बानी करना फर्ज नहीं है और कुर्बानी भैंस या भैंसे की नहीं हो सकती।

साक्षी सं० १ हाजी सैयद अली ने और साथ ही साक्षी सं० ५ मो० रफीकुद्दीन ने यह स्वीकार किया है कि कुर्बानी के अलावा भी अन्य तरीकों से भी बहिस्त प्राप्त हो सकती है गरीब आदमी इबादत के द्वारा बहिस्त प्राप्त कर सकता है। यदि कुर्बानी द्वारा ही एक मात्र बहिस्त प्राप्त किया गया होता तो निश्चय ही इस्लाम धर्म के सभी राजा-महराजाओं सेठ-साहूकारों ने बहिस्त प्राप्त कर लिया होता और गरीब फकीर उधर लालायित होकर देखते रहते, जबकि सत्यता इसके प्रतिकूल है।

इसके विपरीत वादीगण की ओर से श्रीराम आर्य को परीक्षित किया गया, जिन्होंने करीब ८० किताबें धार्मिक विचारों पर लिखी हैं। उन्होंने स्वीकार किया को पाक कुरान शरीफ में सम्बन्धित आठ-दस किताबें उन्होंने लिखी हैं। कुरान शरीफ की छानबीन, कुरान शरीफ का प्रकाश व पुनर्जन्म, कुरान शरीफ में बुद्धि विज्ञान आदि कई किताबें लिखी। इस साक्षी ने अपने मुख्य कथन में स्पष्ट स्वीकार किया है कि केवल एक ही आदेश हज के समय ऊँट की कुर्बानी का है अन्य किसी जानवर की कुर्बानी का नहीं है। किसी दूसरे जानवर यानी भैंसे की कुर्बानी का

आदेश पाक कुरान शरीफ में नहीं है। जो व्यक्ति भैंस-भैंसे को काटता है उसकी कुर्बानी इस्लाम के खिलाफ है। इस साक्षी ने अपने मुख्य कथन में यह भी कहा कि उसने धार्मिक किताबें हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित की हैं। पृच्छा में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पाक कुरान शरीफ में कुर्बानी का जिक्र सूरे हज्ज में है, सूरे वक्र में नहीं। सूरे हज्ज में ही केवल कुर्बानी का आदेश है, अन्य कहीं नहीं। पारा बिना किताब देखे नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट इन्कार किया कि उसने कुरान शरीफ अथवा मुस्लिम कल्चर का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है इस साक्षी ने स्पष्ट स्वीकार किया कि कुरान शरीफ अरबी में उसने नहीं पढ़ा है, परन्तु कुरान शरीफ उसने कई वार पढ़ा। उसका ट्रान्सलेशन अहमद वसीर, काबिल तवीर, काबिल मौलवी लखनऊ शाह अब्दुल कादिर के तर्जुमें पढ़ हैं। इस साक्षी ने भी स्वीकार किया कि ये लोग आलिम हैं या नहीं, परन्तु इनका अनुवाद मान्य है। मैं इस स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्यकों में ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं समझता जवकि इस साक्षी की साक्ष्य का संपुष्टन सफाई साक्षी नं० ५ मो० रफी-कुद्दीन ने भी किया है और कुरान शरीफ में कुर्बानी फर्ज है, नहीं ढूंढ सका और अन्त में उसने विवश होकर यह स्वीकार किया कि हिंसा करना कुरान शरीफ में पाप है और सभी वस्तुएँ अल्लाह की वनाई हुई हैं, किसी को चोट पहुँचाना पाप है। ऐसी दशा में नि:संकोच कह सकता है कि जब प्रतिवादीगण भैंस-भैंसे की वलि इस्लाम में सिद्ध नहीं कर पाये हैं तो उन्हें अनुच्छेद २५ व २६ भारतीय संविधान का लाभ नहीं मिल सकता और वे किस हद तक प्रतिवादपत्र की धारा १० में वर्णित आधार पर लाभ पा सकते हैं, उत्तर नकारात्मक होगा।

उपरोक्त व्याख्या के अनुसार विवाद्यक नं० २,३ व ५ वादीगण के अनकूल एवं प्रतिवादीगण के प्रतिकूल निर्णीत किये गये।

विवाद्यक सं० ७

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस

सम्बन्ध में वादी साक्षी नं० २ महन्त विद्याधर दास ने अपने मुख्य कथन में अभिकथित किया कि कुर्बानी का प्रभाव जनता पर पड़ेगा। भैंसों की कुर्बानी से हिन्दुओं में उत्तेजना फैलेगी, साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। इस गाँव में कोई पशुवधशाला नहीं है और न ही पशुवधशाला का अलग स्थान है। इस गाँव में कोई नाली आदि नहीं है जिससे भैंसों का खून आदि रास्ते में बहेगा। इस साक्षी से पृच्छा में जन स्वास्थ्य के बारे में एक भी शब्द नहीं पूछा गया, केवल अन्तिम सुझाव दिया गया कि घर के अन्दर कुर्बानी करने से खून आदि बहने का प्रश्न नहीं उठता, जिसे इस साक्षी ने इन्कार किया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी साक्षी न० ६ डाक्टर मेहरोत्रा ने प्रथम प्रदर्श क-६सिद्ध किया और बताया कि मेरे पूर्व डाक्टर श्री शर्मा ने यह प्रपत्र जारी किया था। पृच्छा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि जानवरों की बलि देने से बावत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पशुचिकित्सक अधिकृत नहीं है और न ही पशु चिकित्सक पशुबलि के लिए कोई आदेश अथवा स्वीकृति देना भी निश्चित नियमों के तहत हैं, जिसमें पशुओं का वध बूचड़खाना में ही हो सकता है, खुले स्थान में नहीं। खुले स्थान में पशुवध करना प्रतिबन्धित है। विवादित गाँव सहिलामऊ में कोई बूचड़खाना नहीं है। बड़े जानवरों को बूचड़खाने के अतिरिक्त अन्य किसी जगह पर काटना उचित नहीं है। ऐसी दशा में यदि खुले स्थान में जानवर काटा जाता है तो निश्चय ही साम्प्रदायिकता भड़केगी एवं समाज में घृणा फैलेगी, उनके खून के बहाव एवं हाड़ आदि की दुर्गंध से बीमारियाँ भी फैलने का अदेशा रहेगा। यही नहीं इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही सम्भवतः प्रदर्श क-१ आदेश परगनाधिकारी कुमारी लोरेशन, दिगोजा एवं क्षेत्राधिकारी सुभाष जोशी ने जारी किया है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवाद्यक नं०-७ वादीगण के अनुकूल एवं प्रतिवादीगण के प्रतिकूल निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक नं० ८

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादोगण पर है। इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी का आदेश दिनांक ३-११-७६ अवलोकनीय है, जो इस आदेश का एक अंग बनाया जाता है जो निम्न है।

The parties counsel agree that sacrifice of Goats and Lambs (**Waiht**) **Majht**- he made plffs are ready to deposit the costs of 14 Goats because in one buffaloes 7 persons may join. Mohd. Inayat are alleging that sacrifice of 2 buffaloes Would be made as such plffs ready to afford 14 Goats or its price. The price of 2 buffaloes amounting to Rs. 900/- will be adjusted in the total price of 14 Goats. The defts. counsel stated costs of the 14 Goats would be Rs. 2800/-

Therefore after adjusting Rs. 900/- plffs. are directed to pay Rs. 1900/- to the defendants 1 to 7 as price of 14 Goats for sacrifice. The plffs are directed to pay Rs.1900/- within one hour i. e. at 12.15 P. M. The defendants 1 to 7 Can make "KURBANI of Goats and Lambs.

c-10 recipt by the deft. cunsel Sri Z. Zillani for receving Rs.1900/- in cash from the plff's counsel. The order dated 3-11-79 will not prejudice the merit of the case since the matter has been disposed of with the consent of parties hence date already fixed is here by cancelled deffts may file W.S with 15 days. Fix 24.11.79 for issues.

इसमें सेन्टेंस The Order dated 3-11-79 will not prejudice the merit of the Case

स्पष्ट करता है कि उक्त धनराशि प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त करने से मुकदमें के गुणावगुण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर वह विवाद्यक वादीगण के प्रतिकूल एवं प्रतिवादीगण के अनुकूल निर्णीत किया गया।

विवाद्यक नं० ६

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि वादीगण सम्पूर्ण उपशम पाने के अधिकारी हैं। वादीगण प्रतिवादीगण से वाद-व्यय भी पाने के अधिकारी हैं।

वादीगण के विद्धान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये जाने पर कि वह प्रतिवादीगण से रू० १६००/- वापस पाने के अधिकारी हैं, न्याय संगत प्रतीत होता है और वादपत्र की धारा १० (स) के तहत न्यायालय इस उपशम को दिलवाने में स्वतंत्र है। अब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादीगण को भैस-भैसों की बलि देने का अधिकार नहीं था, जब उन्होंने एवज में वादीगण से रू० १६००/- वसूल किये और १४ बकरे खरीदकर बलि दी। दूसरों के पैसे से बकरे खरीदकर बलि देने का अधिकार उन्हें नहीं है और वह रूपया प्रतिवादीगण वादीगण को वापस करने के लिए बाध्य हैं। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से पृच्छा में साक्षी नं० १ सैयद अली ने उस रूपये के बावत अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि इस रूपये का क्या हुआ। भैंसे जो बलि के लिए लाये गये थे, वे बेच लिए गये वादीगण को वापस नहीं किये गये और न विक्रय मूल्य ही वादीगण को वापस किया गया उसने यह भी स्वीकार किया कि भेड़, बकरे में सात आदमी शामिल हो सकते हैं, यह बात बुजुर्गों के समय से सुन रहा हूँ। ऐसी दशा में मैं पाता हूँ कि केवल बड़े जानवरों उदाहरणार्थ भैंस-भैंसे में सात आदमियों का शामिल होने वाला प्रतिवादीगण की बात मिथ्या गढ़ी है जबकि बकरे में भी सात व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

प्रतिवादी साक्षी नं० ... मो० ... ने ... में ...

किया कि वादीगण द्वारा दिये गये रू० १६०० /- में बलि के लिए प्रतिवादीगण ने बकरे खरीदे हैं उस बकरीद में १७ बकरों की बलि दी गई, जिसमें से १४ बकरे अदालत से मिले पैसे से खरीदे गये थे। जब बकरों की कुर्बानी करके उसका शवाब प्रतिवादीगण ने पाया है तो बकरों की धनराशि भी प्रतिवादीगण अदा करने के उत्तरदायी हैं। इस धनराशि पर ब्याज लगाने के बावत मेरे समक्ष तर्क दिया गया, परन्तु मेरे समक्ष प्रतिवादीगण की हालत अधिक अच्छी नहीं बताई गई, ऐसी दशा में प्रतिवादीगण से उक्त धनराशि पर ब्याज दिलाना उचित नहीं है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वादीगण प्रतिवादीगण के रू० १६००/- भी वापस पाने के अधिकारी हैं। जिस पर उन्हें आवश्यक न्यायशुल्क अदा करना होगा।

आदेश

एतद्द्वारा वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। स्थायी निषेधाज्ञा तदनुसार जारी की जाए।

एतद्द्वारा पुनः आदेश किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण को तीन माह के अन्दर रू० १६००/- वापस करें, अन्यथा इसके बाद वादीगण, प्रतिवादीगण से रू० १६००/- पर ६/- प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी होंगे और प्रतिवादीगण के खर्च पर ही डिग्री का निष्पादन वादीगण कराने के अधिकारी होंगे। तदनुसार डिग्री तैयार की जाए।

ह० (एस०पी०शुक्ल)

२८–५–८३

षष्टम अति० मुंसिफ मजिस्ट्रेट, लखनऊ

वादीगण के वकील :

१. वेद प्रकाश एडवोकेट

२. रेवती रमन रस्तोगी एडवोकेट

प्रदिवादी के वकील

१. जेड जिलानी, लखनऊ

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD (LUCKNOW BENCH) LUCKNOW

Writ Petition No. 5016 of 1983.

C. M. Application No 10658 (W) of 1983.

Shamshad Ali and others Petitioners

Vs.

District Judge and others opp.parties.

Application for Stay

Lucknow Dated : 20-9-1983

Hon' ble R. C. Deo Sharma. J.

Opposite parties No. 2 to 10 had filed a civil suit against the petitioners in the Court of Munsif, Lucknow., praying that the defendants be restrained from sacrifising buffalows on religious or other occasions. Please raised were several. It was alleged that the Personal Law of Mohammedan did not contemplates sacrifice of buffalow. It was also alleged that sacrifice of the buffalow would hurt the sentimental and religious feelings of other residents of the village. Other contention was that there was an apprehension of breach of peace in case buffalows were allowed to be slaughtered. Yet other contention was that it would result in spreading disease and for reasons of public health also sacrifice of healthy buffalows, as was proposed, was not justified. The claim was contested on various grounds pleading inter alia that sacrifice was permitted by religion and provisions of Holy Quran. On a cosid-[illegible]ation of the entire matter the Court below decreed [illegible] suit for perpetual injunction restraining the de-

fendants from sacrifising buffalows on religious occasions etc.

An appeal has been preferred which is pending before the learned District Judge. An application was also moved by the appellants praying for stay of the operation of the decree passed by the learned Munsif. The same has been rejected on the ground that there was provision for staying the execution of the decree but no provision existed for staying the operation of the decree. The present petition has been filed challenging the validity of the order passed by the first appellate court as also by the Court of the Munsif granting perpetual injunction.

Learned counsel for the petitioners as also learned counsel for opposite parties No. 2 to 10 and Sri Tilhari, learned counsel appearing for the State have been heard at some length.

The contention of the petitioner's learned counsel was that the sacrifice of quadrupeds was permitted by the Holy Quran and since buffalow was included amongst quadrupeds there should be no restraint on the sacrifice and that the trial court has incorrectly interpreted the provisions. A reference to the judgment of the trial court will indicate that while a witness of the petitioners was in the witness-box, relevant provisions of the Holy Quran were put to him and he was also asked to indicate if there was any specific provision permitting sacrifice of buffalows. A provision was shown where it was mentioned that categories of quadrupeds were specified to be sacrificed by specified classes of persons. When asked further with reference to this provision the witness could not indicate nor the learned counsel appearing for the petitioners has been able to sho

there is any specific provision in the Holy Quran indicating that a buffalow could be sacrificed by any particular class of persons. Learned counsel for the State argued that the provisions in the Holy Quran indicate that no cattle could be sacrificed so long as it was useful to the community and in any case cow and buffalow dung was being used for manure purposes besides others. Be that as it may, while disposing of the in orim application it is not possible to go into the entire merits of the matter raised by the either side. The fact remains that the judgment of the trial court gives cogent reaons for arriving at the conclusions which without detailed hearing cannot be upset in these proceedings relating to interim order for suspending the operation of the trial court's judgment.

Looking also to the balance of convenience it would appear that if sacrifice of buffalow has not been made during the last two or three years, it may not be permitted as an interim measure unless the appeal itself is heard and decided on merits. This is apart from the considerations of apprehension of breach of peace, a point which was specifically raised in the litigation before the trial court.

The learned counsel for the petitioners also argued that the learned District Judge was in error while rejecting the application for staying the operation of the trial court's decree. Order 41 Rule 5 states that an appeal shall not operate as a stay of proceedings under a decree or order appealed from except so far as the Appellate Court may order. It would appear that the appellate court could have passed appropriate order if it was convinced as to the merits of the matter. But it is less to consider that aspect of the matter in view of the

fact that looking to the balance of convinence and the totallity of the circumstances already referred to above, there is no case for granting interim order suspending operation of the trial court's decree for a perpetual injunction. It may be observed that perpetual injunction has been granted only to restrain sacrifice of buffalows and consequently it cannot be said to be an absolute ban on sacrifice or that it would be unreasonable on the ground of absolute prohibition.

Learned counsel for the petitioners also argued that the decree for realisation of Rs. 1900/- may in any case be stayed. The petitioners are free to move the first appellate court for stay where this point does not appear to have been pressed as the only point pressed was for staying the operation of the decree with respect to perpetual injunction.

Learned counsel also argued that the first appellate court may be directed to decide the appeal expiditiously as the occasion for sacrifice will again come in the next year. It is expected that the appellate court will expeditiously decide the matter well in time before the occassion for sacrifice arises next year.

The application for interim relief is accordingly rejected.

Sd. R. C. Deo Sharma
20-9-1983.

Present ———

Arif khan advocate — for Petitioner
H. N. Tilahari Advocate — For sta
Ved Prakash Advocate — Opp. pa
Rewti Raman Rastogi, Advocate

अपील के निर्णय की प्रतीक्षा में, स्थगन की प्रार्थना निरस्त–

सम्मानीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ का निर्णय भी पठनीय एवं मननीय है।

विद्वान् मुंसिफ महोदय ने विचारणीय प्रश्नों का जो उत्तर दिया है।

एवं

गंभीर समस्याओं की जो मीमांसा, विवेचना व समाधान किया है।

सभी आर्य मीमांसकों को उ[illegible] विचार करना चाहिए–अपना विचार[illegible] मत देना चाहिए।

सभी आर्य जनोंको सभी आर्य समाजों को इस मुकदमे में वादी ग्रामवासियों एवं नगर आर्यसमाज (गंगा प्रसाद रोड) लखनऊ की सक्रिय ठोस सहायता करना चाहिए।

नगर आर्य समाज लखनऊ आप से प्राप्त हर सहायता का स्वागत करेगा–सधन्यवाद !

[illegible] प्रेस, [illegible]